ऑन लाईन नं. RCMS 2022/13

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर०ए०एस०

विविध प्रार्थना पत्र सं० 02/2019

1. लीलाधर पुत्र श्री अनन्त राम
2. पतराम पुत्र श्री बीरबलराम
3. साहबराम पुत्र श्री बीरबलराम
4. प्रभुदयाल पुत्र श्री ख्यालीराम
5. महेन्द्र पुत्र श्री ख्यालीराम
6. रणजीत पुत्र श्री जयमलराम
7. हंसराज पुत्र श्री जयमलराम

} अकवाम जाट साकिन जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणंवा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

:: आदेश :: दिनांक : 10.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 75/77 अनवानी राज्य बनाम भूरी वगैरा का निर्णय दिनांक 17.03.1987 को पारित कर 253.06 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये थे और यह आदेश उच्च न्यायालय तक अपरिवर्तनीय रहा था और सींलिंग प्रकरण में प्रार्थी की भारयुक्त चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर की प्रार्थी अन्नतराम पुत्र श्री बीरबलराम के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 5 ता 7, 14,15 की 5 बीघा, पतराम पुत्र श्री बीरबलराम के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 11 मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 6,7 14 ता 18 की 8 बीघा, साहबराम की मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 22 मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10, 13 की 8 बीघा, ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम की मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1,2,8 ता 10, 12 व 13 की 7 बीघा कुल 28 बीघा का कब्जा लिया गया था, इसके अतिरिक्त प्रार्थी साहबराम के पिता बीरबलराम पुत्र श्री डूंगरराम के नाम की भूमि चक 15 एलएलजी पत्थर नम्बर 41/78, मुरब्बा नम्बर 7 किला 11, 19 ता 23 पत्थर नम्बर 51/78 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 8, 10 ता 12 कुल 23 बीघा भूमि का कब्जा गलती से बहक सरकार लिया गया था, इसलिए प्रार्थीगण ने गलती से बीरबल राम की भारमुक्त भूमि का लिया गया कब्जा वापिस लौटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेशदिनांक 13.09.2001 को स्वीकार कर प्रार्थीगण की उक्त भूमि सीलिंग में असैस नहीं होने के कारण लौटाये जाने के आदेश दिये गये थे। आदेश की नकल सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

(मुहर: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.))

Scanned with OKEN Scanner

यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2001 को राजस्थान राज्य ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सीलिंग अपील संख्या 319/2002 से चुनौती दी, और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने वादग्रस्त भूमि के आदेश दिनांक 23.05.2007 से प्रार्थी को 1000/- रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से जमा करवाने पर कब्जा रखने का अधिकारी माना का आदेश दिया और राजस्थान राज्य की इस सीलिंग अपील को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज कर दिया है। आदेश दिनांक 23.05.2007 दिनांक 28.04.2014 सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 23.05.2007 की पालना में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक कुल 7 वर्षो तक 44000/-रूपये प्रत्येक वर्ष कुल राशि 3,08,000/-रूपये जमा करवाई है राशि जमा करवाने के चालान सलंग्न आवेदन पत्र है। राजस्थान राज्य की सीलिंग अपील आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज की जा चुकी है। और प्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है।

यह कि राजस्थान राज्य की अपील खारिज हो गई है। अन्नतराम , ख्यालीराम व जयमलराम को देहान्त हो चुका है। लीलाधर अन्नतराम का वारिस है और प्रभुदयाल व महेन्द्र को ख्यालीराम की भूमि प्राप्त हुई है और रणजीत व हंसराज जयमलराम के वारिश है और अपने पूर्वज द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमा करवायी गई राशि प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थी को कब्जा लौटाने का आदेश दिनांक 13.09.2001 अन्तिम हो चुका है और कब्जा प्रार्थीगण को दिया जा चुका है। प्रार्थीगण जमा राशि 3,08,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के यहां जमा करवायी राशि 3,08,000/-रूपये प्रार्थीगण को लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया एवं तहसीलदार सादुलशहर से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सादुलशहर से उनके पत्र कमांकः-राजस्व/2021/21 दिनांक 07.01.2021 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया कि :-

1. साहब राम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
   चक 16 एलएलजी मु.नं. 59 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10, 13, मु.नं. 54 किला नम्बर 22 कुल रकबा 2.277 हैक्टर
2. कृष्णादेवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी जोगीवाला।
   चक 15 एलएलजी मु.नं.08 किला नम्बर 8 कुल रकबा 0.253 हैक्टर।
3. पतराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
   चक 16 एलएलजी मु.नं. 58 किला नम्बर 11, मु.नं. 59 किला नम्बर 6,7, 14 ता 18 कुल रकबा 2.024 हैक्टर
4. लीलाधर, सत्यनारायण पि. अन्तराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
   चक 16 एलएलजी मु.नं.60 कि.नं.5 ता 7,14,15 कुल 1.265 हैक्टर।
5. कलावती देवी पत्नी ख्यालीराम , गुड्डी देवी, कौशल्या देवी, प्रभूदयाल, महेन्द्रकुमार पुत्र-पुत्रीया ख्यालीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
   चक 16 एलएलजी मु.नं. 58 किला नम्बर 1,2, 8 ता 10,12,13 कुल रकबा 1.771 हैक्टर।

तहसीलदार सादुलशहर से उनके पत्र कमांकः-राजस्व/2021/1079 दिनांक 29.08.2022 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया कि :-

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 02/2019 लीलाधर आदि बनाम सरकार में हल्का पटवारी रोटावाली से रिपोर्ट करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी इन्तकाल संख्या 458 दिनांक 08.02.2019 द्वारा साहबराम पुत्र बीरबलराम मुरब्बा नं. 59 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10,13 कुल 1.771 हैक्टर, देवीलाल पुत्र भागीरथ मु.नं.54 किला नम्बर 22 रकबा 0.253 हैक्टर, इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 08.06.2019 के द्वारा पताराम पुत्र बीरबल राम मु.नं.58 किला 11, मु.नं. 59 किला नम्बर 6,7, 14 ता 18 कुल रकबा 2.024 हैक्टर, इन्तकाल संख्या 471 दिनांक 08.02.2019 के द्वारा ख्यालीराम पुत्र बीरबल मु.नं.58 किला नम्बर 1,2 8 ता 10, 12,13 रकबा 1.771 हैक्टर कुल 23 बीघा (5.819) हैक्टर , राजस्व रिकॉर्ड नहरी कृषि भूमि दर्ज है। मु.नं.60 किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 15 रकबा 1.265 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड अराजीराज दर्ज है। मु.नं.60 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 15 रकबा 1.265 हैक्टर अराजीराज रकबा पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/(प्रशासन)/429 द्वारा स्थगन आदेश है तथा अन्य उक्त रकबा पर कोई स्थगन आदेश नहीं है।

तहसीलदार सादुलशहर से उनके पत्र कमांकः–राजस्व/2024/1247 दिनांक 13.12.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया कि :–

1. चक 16 एलएलजी मु.नं. 58 किला नम्बर 22, मु.नं. 59 किला नम्बर 1 ता 3 में 0.759 हैक्टर, 8 ता 10 में 0.759 हैक्टर, 13/0.253 हैक्टर कुल रकबा 2.024 हैक्टर भूमि पर साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन जोगीवाला।
2. चक 16 एलएलजी मु.नं. 54 किला नम्बर 11/0.253, किला नम्बर 6,7 में 0.506 हैक्टर, 14 ता 18 में 1.265 हैक्टर कुल 2.024 हेक्टर नहरी मय रास्ता भूमि पर अंकुश पुत्र प्रहलाद जाति जाट हिस्सा 1/2 व अश्वनी पुत्र सन्दीप हिस्सा 1/2 रहन बदस्तूर।
3. चक 16 एलएलजी मु.नं. 58 किला नम्बर 1,2 में 0.506 हैक्टर , 8 ता 10 में 0. 759, 12,13 में 0.506 हैक्टर कुल 1.771 हैक्टर भूमि पर कलावतीदेवी, कौशल्या देवी, गुड्डी देवीस पुत्रीया ख्यालीराम, प्रभुदयाल, महेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट ब0हि0ब0।
4. चक 16 एलएलजी मु.नं. 7 किला नम्बर 11,19 ता 23, मु.नम्बर 8 किला नम्बर 8, 10 ता 12 कुल 2.530 हैक्टर भूमि पर साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट।
5. चक 16 एलएलजी मु.नं. 60 किला नम्बर 5,6,7 व 14, 15 कुल 05 बीघा रकबा अराजीराज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है उक्त रकबा पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश दर्ज रिकॉर्ड है।

श्रीगान जी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/319/2002/गंगानगर के निर्णय दिनांक 28.04. 2014 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सी. रिट नम्बर 12499/2016 अनवान जगदीश बनाम बोर्ड ऑफ अजमेर आदि विचाराधीन है।

राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 75/77 अनवानी राज्य बनाम भूरी वगैरा का निर्णय दिनांक 17.03.1987 को पारित कर 253. 06 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये थें। उक्त आदेश उच्च न्यायालय तक अपरिवर्तनीय रहा था और सीलिंग

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में प्रार्थी की भारयुक्त चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर की प्रार्थी अन्नतराम पुत्र श्री बीरबलराम के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 5 ता 7, 14,15 की 5 बीघा, पतराम पुत्र श्री बीरबलराम के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 11 मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 6,7 14 ता 18 की 8 बीघा, साहबराम की मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 22 मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10, 13 की 8 बीघा, ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम की मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1,2,8 ता 10, 12 व 13 की 7 बीघा कुल 28 बीघा का कब्जा लिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी साहबराम के पिता बीरबलराम पुत्र श्री डूंगरराम के नाम की भूमि चक 15 एलएलजी पत्थर नम्बर 41/78, मुरब्बा नम्बर 7 किला 11, 19 ता 23 पत्थर नम्बर 51/78 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 8, 10 ता 12 कुल 23 बीघा भूमि का कब्जा गलती से बहक सरकार लिया गया था, इसलिए प्रार्थीगण ने गलती से बीरबल राम की भारमुक्त भूमि का लिया गया कब्जा वापिस लौटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.09.2001 को स्वीकार कर प्रार्थीगण की उक्त भूमि सीलिंग में असेंस नहीं होने के कारण लौटाये जाने के आदेश दिये गये। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2001 को राजस्थान राज्य ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सीलिंग अपील संख्या 319/2002 से चुनौती दी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने वादग्रस्त भूमि के आदेश दिनांक 23.05.2007 से प्रार्थी को 1000/- रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से जमा करवाने पर कब्जा रखने का अधिकारी माना का आदेश दिया। राजस्थान राज्य की इस सीलिंग अपील को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज कर दिया है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 23.05.2007 की पालना में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक कुल 7 वर्षो तक 44000/-रूपये प्रत्येक वर्ष कुल राशि 3,08,000/-रूपये जमा करवाई है। राजस्थान राज्य की सीलिंग अपील आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज की जा चुकी है। और प्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। अतः प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के यहां जमा करवायी राशि 3,08,000/-रूपये प्रार्थीगण को लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2001 को राजस्थान राज्य ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सीलिंग अपील संख्या 319/2002 से चुनौती दी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने वादग्रस्त भूमि के आदेश दिनांक 23.05.2007 से प्रार्थी को 1000/- रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से जमा करवाने पर कब्जा रखने का अधिकारी माना का आदेश दिया। राजस्थान राज्य की इस सीलिंग अपील को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज कर दिया है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 23.05.2007 की पालना में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक कुल 7 वर्षो तक 44000/-रूपये प्रत्येक वर्ष कुल राशि 3,08,000/-रूपये जमा करवाई गई है। राजस्थान राज्य की सीलिंग अपील आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त जमा राशि वापिस चाही है जबकि तहसीलदार सादुलशहर की रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/ 2024/1247 दिनांक 13.12.2024 के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/319/2002/गंगानगर के निर्णय दिनांक 28.04.2014 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सी. रिट नम्बर 12499/2016 अनवान जगदीश

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बनाम बोर्ड ऑफ अजमेर आदि विचाराधीन होना बताया है। अतः आदेश दिनांक 28.04.2014 के विरूद्व एस.बी.सी. रिट नम्बर 12499/2016 अनवान जगदीश बनाम बोर्ड ऑफ अजमेर आदि विचाराधीन होने पर उक्त राशि लौटाया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2001 को राजस्थान राज्य ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सीलिंग अपील संख्या 319/2002 से चुनौती दी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने वादग्रस्त भूमि के आदेश दिनांक 23.05.2007 से प्रार्थी को 1000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से जमा करवाने पर कब्जा रखने का अधिकारी माना का आदेश दिया था। राजस्थान राज्य की इस सीलिंग अपील को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2014 से खारिज कर दिया है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 23.05.2007 की पालना में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक कुल 7 वर्षो तक 44000/–रूपये प्रत्येक वर्ष कुल राशि 3,08,000/–रूपये जमा करवाई गई है। तहसीलदार सादुलशहर की रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2024/1247 दिनांक 13.12.2024 के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/319/2002/गंगानगर के निर्णय दिनांक 28.04.2014 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सी. रिट नम्बर 12499/2016 अनवान जगदीश बनाम बोर्ड ऑफ अजमेर आदि विचाराधीन होना बताया है। अतः आदेश दिनांक 28.04.2014 के विरूद्व एस.बी.सी. रिट नम्बर 12499/2016 अनवान जगदीश बनाम बोर्ड ऑफ अजमेर आदि विचाराधीन होने पर उक्त राशि लौटाया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)